भारतीय स्टेट बैंक

पर्यावरण, सामाजिक और शासकीय (ईएसजी) वित्तपोषण ढांचा

जनवरी 2023

1. पृष्ठभूमि

1806 में अपने प्रादुर्भाव के पश्चात, भारतीय स्टेट बैंक ("एसबीआई" या "बैंक") भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और इसकी विशाल आबादी की आकांक्षाओं के अनुरूप सेवारत है। यह बैंक संपत्ति, जमाराशि, लाभ, शाखाओं, ग्राहकों और कर्मचारियों की संख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, जो सामाजिक आयाम में लाखों लोगों के निरंतर विश्वास पर खरा उतरा है। एसबीआई जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, अपनी शाखाओं और आउटलेट्स, संयुक्त उद्यमों, अनुषंगियों तथा सहयोगी कंपनियों के माध्यम से व्यक्तिगत, वाणिज्यिक उद्यम, बड़े कॉर्पोरेट, सार्वजनिक निकाय एवं संस्थागत ग्राहकों को विभिन्न उत्पादों व सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

2. पर्यावरण, सामाजिक और शासकीय ("ईएसजी") दृष्टिकोण

एसबीआई भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होने के विशेषाधिकार के दायित्व से अवगत है। बैंक हितधारकों के लिए मूल्यों को स्थापित करने तथा एक स्थायी समाज और भविष्य निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता में अटूट बना हुआ है। इस प्रकार, एसबीआई के पास एक एकीकृत स्थिरता दृष्टिकोण विद्यमान है जो बैंक के लक्ष्य, ध्येय एवं मूल्य के अनुरूप व्यवसाय के सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक पहलुओं के बीच तालमेल और अंतर्संबंध का लाभ उठाना चाहता है।

पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसबीआई की रणनीति के केंद्र में है। एसबीआई के पास ईएसजी के समर्थन में कई फ्रेमवर्क और नीतियां हैं जिनमें जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन नीति, नवीकरणीय ऊर्जा नीति, स्थिरता और व्यावसायिक जिम्मेदारी नीति, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति, आचार संहिता आदि शामिल हैं। इसके अलावा, हमारे पास एक अलग ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क है।

बैंक की कॉर्पोरेट सेंटर सस्टेनेबिलिटी कमेटी (सीसीएससी) स्थिरता और व्यावसायिक जिम्मेदारी (बीआर) नीति के निष्पादन का कार्य करती है। यह नीति बैंक की स्थिरता रणनीति को अपनी व्यावसायिक रणनीति के साथ संरेखित करने में सहायता करती है और प्रमुख पर्यावरणीय और सामाजिक क्षेत्रों की पहचान करती है। इसके आतिरिक्त, यह एकीकृत तरीके से आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन के प्रबंधन के लिए एसबीआई के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

समिति में कई कार्यों का प्रतिनिधित्व है और इसकी अध्यक्षता उप प्रबंध निदेशक और कॉर्पोरेट विकास अधिकारी करते हैं। बैंक की एक अलग बोर्ड स्तर की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति भी है, जो बैंक की सीएसआर गतिविधियों की आवधिक समीक्षा करती है।

स्थिरता शासन

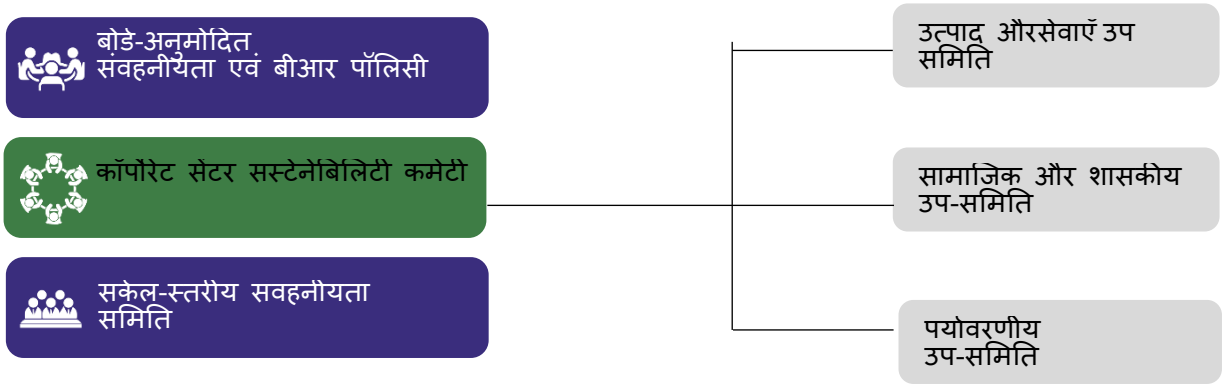

एसबीआई अपने परिचालन में नैतिक व्यवसाय प्रथाओं और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सत्यनिष्ठा एवं आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए, बैंक ने एक नैतिकता और व्यावसायिक आचरण कार्यक्रम चलाए हैं।

2.1. सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में एसबीआई का योगदान

एक जिम्मेदार संगठन के रूप में, एसबीआई संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को प्राप्त करने में भारत की सहायता करने में अपने दायित्व को स्वीकार करता है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक ने कई उत्पादों और सेवाओं को तैयार किया है जो भारत की प्रतिबद्धताओं को स्थापित करने में सहायक हैं।

- **जैव ईंधन परियोजनाओं के लिए वित्त :-** एसबीआई उन कंपनियों को ऋण प्रदान करता है जो मौजूदा फीडस्टॉक कोयले या अन्य जीवाश्म ईंधन को बायोमास के साथ बदलने में रुचि रखते हैं। बैंक इस ऋण के माध्यम से पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है।
- **संजीवनी :- हेल्थकेयर सेक्टर के लिए एसएमई लोन :-** देश में हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एसबीआई ने लिक्विड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्माण में लगी इकाइयों और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने वाले मौजूदा अस्पतालों को पूरा करने के लिए एक लोन प्रोडक्ट की पेशकाश की है।

- **स्त्री शक्ति उद्यमी ऋण :-** विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ साझेदारी में, एसबीआई ने महिला उद्यमियों को सस्ती ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक नया ऋण उत्पाद तैयार किया है। स्वयं सहायता समूहों ("एसएचजी") से शिक्षित होने वालों अथवा संबद्ध कृषि गतिविधियों सहित विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक उद्यमों में आपूर्ति श्रृंखला से सम्बद्ध होने पर जोर दिया जाता है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र, चिन्हित उधारकर्ताओं को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहयोग करेंगे।
- **योनो कृषि सफल डेयरी लोन :-** कॉर्पोरेट्स के साथ साझेदारी के माध्यम से किसानों की डेयरी फार्मिंग जरूरतों को पूरा करने में सहायता करने हेतु योनो प्लेटफॉर्म पर प्री अप्प्रूव्ड एवं झंझट मुक्त ऋण सुविधा है।
- **कौशल ऋण योजना :-** यह उत्पाद व्यक्तियों को अपना कौशल बढ़ाने और उनकी आजीविका में सुधार करने में सहायता करता है। यह सभी के लिए अवसरों को बढ़ावा देता है और समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करता है।
- **एसबीआई ई-मुद्रा :-** एसबीआई की ई-मुद्रा सूक्ष्म उद्यमियों को अपने व्यवसाय से संबंधित प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करने और रोजगार सृजन क्षमता को बढ़ाने में सहायता करने के लिए 50,000 रुपये तक के डिजिटल टर्म लोन प्रदान करती है। 31 मार्च 2022 तक इसके लिए 9.34 बिलियन रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है।
- **एसएटीएटी योजना के तहत संपीड़ित बायोगैस ("सीबीजी") :-** एसबीआई सस्ती परिवहन योजना की ओर टिकाऊ विकल्प के तहत सीबीजी संयंत्रों के लिए ऋण प्रदान करता है। यह योजना सतत औद्योगिकीकरण के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करती है।
- **ग्रीन कार लोन :-** बैंक नियमित कार लोन की तुलना में आठ वर्षीय चुकौती अवधि और ब्याज दर पर 20 आधार अंक (बीपीएस) की छूट की पेशकश के साथ ग्रीन कार लोन योजना के माध्यम से क्लीनर मोबिलिटी को बढ़ावा देता है।
- **एसएचजी वित्तपोषण :-** एसबीआई स्थायी आजीविका पैदा करने के लिए एसएचजी को धन देता है। अधिकांश स्वयं सहायता समूहों में महिलाएं शामिल हैं, जो बैंक को लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में योगदान करने में सहायता प्रदान करती हैं।
- **पॉलीहाउस का वित्तपोषण :-** भूखमरी समाप्त करना, अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्य, सतत खपत एवं उत्पादन, और जलवायु कार्रवाई संबंधी लक्ष्यों को गति प्रदान करने के लिए, एसबीआई पैदावार बढ़ाने की दृष्टि से पॉलीहाउस खेती परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है।

- **सौर फोटोवोल्टिक पंप सेट का वित्तपोषण :-** एसबीआई ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अनुरूप सौर जल पम्पिंग प्रणाली की खरीद के लिए धन जुटाने में सहायता की, ताकि किसानों के लिए एक स्थायी आजीविका प्रदान की जा सके और पर्यावरण फूटप्रिंट को कम किया जा सके।
- **ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर पीवी परियोजनाएं : -** वाणिज्यिक संस्थानों और छोटी छतों वाले औद्योगिक भवनों में नवीकरण ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने के लिए, एसबीआई ने 31 मार्च 2022 तक रूफटॉप सौर पीवी परियोजनाओं के लिए 10.89 बिलियन रुपये मंजूर किए हैं।
- **हेल्थकेयर बिजनेस लोन: -** छोटे शहरों और गांवों के निवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की सुविधा के लिए, एसबीआई ने 31 मार्च 2022 तक ग्राहकों को 396.7 मिलियन रुपये के हेल्थकेयर बिजनेस लोन को मंजूरी दी है।
- **किफायती होम लोन :-** एसबीआई अपने होम लोन के माध्यम से लोगों को अपना घर बनाने का सपना पूरा करने में मदद करता है। 58.19 प्रतिशत गृह ऋण किफायती आवास ऋण हैं।
- **ई-रिक्शा योजना :-** एसबीआई ने स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक-रिक्शा के लिए 120.6 मिलियन रुपये मंजूर किए हैं।

2.2 बैंकिंग में ईएसजी दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाना

भारत में सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में, एसबीआई को पता है कि एक उधार देने वाली संस्था के रूप में उसके कार्यों का क्या प्रभाव है। बैंक ने हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पैदा करने की दिशा में काम किया है, और अपने संचालन के किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है। एसबीआई किसी भी उधार देने संबंधी निर्णय लेते समय विभिन्न पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन से संबंधित मानदंडों को ध्यान में रखता है, जो यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि सही संस्थानों को वित्त पोषित किया जा रहा है।

एसबीआई के पास ईएसजी मानदंडों पर उधारकर्ताओं को रेट करने के लिए एक ढांचा है, जो निर्दिष्ट उधारकर्ताओं के लिए ईएसजी मानदंडों की अनिवार्य रेटिंग पर जोर देता है। इसमें भारत में मौजूदा उधारकर्ता और संभावित उधारकर्ता शामिल हैं, जिन्होंने सीआरए रेटिंग के

समय ₹100 करोड़ (सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) और ₹500 करोड़ से अधिक (गैर-सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) का एक्सपोजर दिया था।

इसके अतिरिक्त, एसबीआई ने ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने और बैंक के ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के दायरे में आने वाली हरित परियोजनाओं के लिए आय का उपयोग करने के लिए पहले से ही ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क लागू किया है। इस ढांचे की संरचना जलवायु बांड पहल (सीबीआई) द्वारा विकसित जलवायु बांड मानक संस्करण 2.1 के अनुसार किया गया है। यह ढांचा हरित परियोजनाओं के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करने में सहायता करता है और निवेशकों के लिए अपेक्षित पारदर्शिता और प्रकटीकरण भी प्रदान करता है।

2.3. संवहनीयता रिपोर्टिंग

बैंक की वार्षिक संवहनीयता रिपोर्ट वैश्विक रिपोर्टिंग पहल मानकों ("जीआरआई") के अनुसार तैयार की गई है। यह प्रकटन भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक जिम्मेदारियों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों (एनवीजी) के नौ सिद्धांतों के साथ आगे जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद (आईआईआरसी) की रूपरेखा के साथ भी जुड़ी हुई है और स्थिरता लेखा मानक बोर्ड (एसएएसबी) द्वारा परिभाषित मानक भी हैं। रिपोर्ट सामग्री में जलवायु से संबंधित वित्तीय खुलासे (टीसीएफडी) के लिए टास्क फोर्स की सिफारिशों और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर प्रगति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई पहलों पर रिपोर्ट भी शामिल हैं। रिपोर्ट में भारत के प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित व्यापार जवाबदेही एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) खुलासे के बारे में जानकारी शामिल करने का भी प्रयास किया गया है।

बैंक वार्षिक रूप से स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है और नवीनतम संस्करण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3. ईएसजी वित्तपोषण फ्रेमवर्क का उद्देश्य

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) फ्रेमवर्क, जिसे इस दस्तावेज के माध्यम से स्पष्ट किया गया है (इसके बाद "फ्रेमवर्क" के रूप में संदर्भित किया गया है), एसबीआई के भविष्य में ग्रीन, सोशल या सस्टेनेबल इंस्ट्रूमेंट्स (बॉन्ड और / या ऋण) जारी करने के लिए एक

पुस्तिका के रूप में प्रस्तावित है, जिसका उपयोग पर्यावरणीय या सामाजिक लाभ के साथ पात्र परिसंपत्तियों / परियोजनाओं के वित्तपोषण या पुनर्वित्त के लिए किया जाएगा। ताकि एसबीआई की स्थिरता रणनीति का विस्तार किया जा सके और भारतीय अर्थव्यवस्था के सतत विकास में योगदान दिया जा सके।

ऐसे ईएसजी लिखतों की निवल आय या समकक्ष राशि को फ्रेमवर्क ("पात्रता मानदंड") की धारा 4.2 में परिभाषित "पात्र परियोजनाएँ" के वित्तपोषण या पुनर्वित्त के लिए आबंटित किया जाएगा।

मौजूदा ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को प्रस्तावित ईएसजी फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के तहत शामिल किया जाएगा।

3.1 वैश्विक सिद्धांतों और दिशानिर्देशों के साथ संरेखण

इस फ्रेमवर्क को निम्नलिखित सतत वित्त सिद्धांतों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप विकसित किया गया है :-

- बॉन्ड के संबंध में, इस फ्रेमवर्क के तहत जारी किए गए बॉन्ड को इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन ("आईसीएमए") ग्रीन बॉन्ड सिद्धांत 2021, सोशल बॉन्ड सिद्धांत 2021 और सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड दिशानिर्देश 2021 के साथ संरेखित किया जाएगा।
- ऋण के संबंध में, इस ढांचे के तहत जारी किए गए ऋणों को ऋण बाजार संघ ("एलएमए") ग्रीन लोन सिद्धांत 2021 और सामाजिक ऋण सिद्धांत 2021 के साथ संरेखित किया जाएगा।

इस फ्रेमवर्क के तहत जारी किए गए प्रत्येक ग्रीन, सोशल या सस्टेनेबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, एसबीआई निम्नलिखित तत्वों के साथ संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध है :-

- आय का उपयोग
- परियोजना मूल्यांकन और चयन की प्रक्रिया
- आय का प्रबंधन
- रिपोर्टिंग
- बाहरी समीक्षा

इस फ्रेमवर्क को बाद में संशोधित और अद्यतन किया जा सकता है क्योंकि एसबीआई का सतत वित्तपोषण फोकस विकसित होता है और/या स्थायी वित्त बाजार प्रगति करता है। इस रूपरेखा का कोई भी भविष्य में संशोधित और अद्यतन संस्करण एसबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और इस ढांचे का स्थान लेगा। कृपया आगे की शर्तों के लिए धारा 9 का संदर्भ लें।

4. आय का उपयोग

इस ढांचे के तहत जुटाई गई शुद्ध आय, या एक समकक्ष राशि का उपयोग उन परियोजनाओं के वित्तपोषण या पुनर्वित्त के लिए किया जाएगा जो इस खंड में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुरूप हैं।

- ग्रीन बॉन्ड और/या ग्रीन लोन आय का उपयोग विशेष रूप से पात्र ग्रीन परियोजनाओं ("पात्र ग्रीन प्रोजेक्ट्स") के लिए किया जाना चाहिए जैसा कि 4.2.1 में परिभाषित किया गया है।
- सामाजिक बांड और/या सामाजिक ऋण आय का उपयोग विशेष रूप से पात्र सामाजिक परियोजनाओं ("पात्र सामाजिक परियोजनाएं") के लिए किया जाना चाहिए जैसा कि 4.2.2 में परिभाषित किया गया है।
- सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड और/या सस्टेनेबिलिटी लोन आय का उपयोग विशेष रूप से योग्य ग्रीन प्रोजेक्ट्स और योग्य सामाजिक परियोजनाओं के संयोजन के लिए किया जाना चाहिए।

इस फ्रेमवर्क के तहत मान्यता प्राप्त सभी क्रेडिट पोर्टफोलियो को बैंक की उचित परिश्रम संरचना और प्रक्रिया से गुजरना होगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होने पर ही ग्रीन/सोशल/सस्टेनेबल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो के तहत आबंटन के लिए गणना की जाएगी।

4.1 आय का आबंटन

एसबीआई इस फ्रेमवर्क के तहत हरित, सामाजिक या टिकाऊ उपकरण जारी करने की तिथि से 24 महीने के भीतर सभी राशि का आबंटन करेगा।

पुनर्वित्त के मामले में, संबंधित हरित, सामाजिक या टिकाऊ उपकरणों के जारी होने की तारीख से 24 महीने पहले वित्तपोषित की गई पात्र परियोजनाएं या आस्तियां अर्हता प्राप्त करेंगी।

4.2 पात्रता मानदंड

फ्रेमवर्क में हरित परियोजना और सामाजिक परियोजनाओं के लिए पात्रता मानदंड का प्रावधान है। परियोजनाओं को ईएसजी वित्तपोषण ढांचे के तहत विचार किए जाने वाले पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए :

4.2.1 पात्र हरित परियोजना श्रेणियाँ

योग्य ग्रीन प्रोजेक्ट श्रेणियाँ	**पात्रता मानदंड और उदाहरण**
जैव विविधता	परियोजनाओं से संबंधित निवेश, व्यय और वित्तपोषण सहित : ▪ स्थलीय /समुद्री प्राकृतिक आवासों का संरक्षण,[1] ▪ वनों की कटाई और वन क्षरण (आरईडीडी) से उत्सर्जन सको कम करने सहित परिदृश्य संरक्षण / बहाली।[2] **एसडीजी में महत्वपूर्ण योगदान :**
परिपत्र अर्थव्यवस्था और / या पर्यावरण-कुशल परियोजनाएं	परिपत्र अर्थव्यवस्था और / या पर्यावरण-कुशल परियोजनाओं के पर्यावरणीय और स्थिरता लाभ सहित परियोजनाओं से संबंधित निवेश, व्यय और वित्तपोषण : ▪ आरएसबी प्रमाणित जैव-आधारित संसाधन-कुशल/ कम कार्बन उत्पादों का मिश्रण ▪ पुनर्नवीनीकरण/अपशिष्ट उत्पादों का उपयोग करके उत्पादों का निर्माण[3] **एसडीजी में महत्वपूर्ण योगदान:**

[1] दलदल, खाड़ियों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे प्राकृतिक आवासों और परिदृश्यों का भंडारण, संरक्षण या संरक्षण; पार्कों जैसे शहरी क्षेत्रों में जैविक विविधता की बहाली या संरक्षण। ऐसी गतिविधियों से केवल स्थानीय पेड़-प्रजातियों का उपयोग करने की उम्मीद की जाती है जो साइट की स्थितियों के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं और एफएससी / पीईएफसी को प्रमाणित एक स्थायी प्रबंधन योजना है।

[2] वनीकरण / पुनर्वनीकरण गतिविधियों के लिए, वित्तपोषित परियोजनाओं में पेड़ प्रजातियों का उपयोग करना चाहिए जो साइट की स्थिति के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं और एफएससी या पीईएफसी को प्रमाणित एक स्थायी प्रबंधन योजना होनी चाहिए।

[3] रासायनिक रीसाइक्लिंग को छोड़कर प्लास्टिक का चक्रण. केवल पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक नीचे दिए गए मानदंडों के साथ इन उत्पादों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा:

i) पुनर्नवीनीकरण का कम से कम 90% प्लास्टिक का उपयोग करके उत्पादन के लिए प्लास्टिक पर विचार किया जाएगा.

ii) अंतिम उत्पाद का कम से कम 90% एकल उपयोग उत्पाद के लिए अभिप्रेत नहीं है और अंतिम उत्पाद पुनर्नवीनीकरण योग्य है।

स्वच्छ परिवहन	कम कार्बन वाले यात्री और माल ढुलाई या संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास / निर्माण के उद्देश्य से परियोजनाओं से संबंधित निवेश, व्यय और वित्तपोषण , जिनमें शामिल हैं : ▪ यात्री गैर-सार्वजनिक परिवहन (जैसे, यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों) के लिए, या तो शून्य प्रत्यक्ष उत्सर्जन (पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन) या 2025 तक 50 ग्राम CO2e / km से कम के टेलपाइप उत्सर्जन के साथ (इसके बाद अयोग्य), ▪ यात्री सार्वजनिक परिवहन (जैसे, लाइट रेल ट्रांजिट, मेट्रो, ट्राम, ट्रॉलीबस, बस और रेल) के लिए, या तो शून्य प्रत्यक्ष उत्सर्जन (पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन) या 2025 तक प्रति यात्री 50 ग्राम CO2e / किमी से कम के टेलपाइप उत्सर्जन के साथ (इसके बाद अयोग्य), ▪ माल ढुलाई रेल (ट्रेनों) के लिए, या तो शून्य प्रत्यक्ष उत्सर्जन (पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन) या टेलपाइप उत्सर्जन के साथ (≤) 25 ग्राम सीओ 2 ई / टी-किमी (टन-किलोमीटर),[4] ▪ सड़क माल ढुलाई के लिए, शून्य प्रत्यक्ष उत्सर्जन (इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन)। स्वच्छ परिवहन के लिए रिचार्जेबल बैटरी और ईंधन सेल के विकास, निर्माण और रीसाइक्लिंग से संबंधित व्यय और वित्तपोषण। इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए उपभोक्ता ऋण से संबंधित व्यय और वित्तपोषण। **एसडीजी में महत्वपूर्ण योगदान:**
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	निगरानी और / या पूर्वानुमान सहित परियोजनाओं से संबंधित निवेश, व्यय और वित्तपोषण : ▪ तापमान से संबंधित जलवायु खतरे, ▪ वायु से संबंधित जलवायु खतरे, ▪ जल से संबंधित जलवायु खतरे, और / या

[4] जीवाश्म ईंधन माल ढुलाई माल ढुलाई के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए (टन / किमी में)

	▪ भूमि से संबंधित जलवायु खतरे मौसम से संबंधित क्षति और / या व्यवधान से बचाव या रोकथाम जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) में उल्लिखित राष्ट्रीय मिशनों की जलवायु परिवर्तन अनुकूलन गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं (प्रासंगिक परियोजनाओं) का निवेश, व्यय और वित्तपोषण : क) मौसम संबंधी क्षति/व्यवधान को कम करने/उससे बचने के लिए संरचनाएं।[5] **एसडीजी में महत्वपूर्ण योगदान :**
ऊर्जा दक्षता	परियोजनाओं और प्रौद्योगिकियों से संबंधित निवेश, व्यय और वित्तपोषण जो ऊर्जा और उत्सर्जन में कमी को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जिनका उद्देश्य कम से कम 20% ऊर्जा बचत प्राप्त करना है। उदाहरण निम्नानुसार : ▪ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए बैटरी भंडारण से संबंधित ऊर्जा दक्षता लाने वाली परियोजनाओं को शामिल करना ▪ स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियां[6] ▪ ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (उन्नयन, संशोधन, सेवा और औद्योगिक और विनिर्माण प्रक्रियाओं में सुधार जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा दक्षता में वृद्धि होती है, उत्पाद डिजाइन, सेवा, रीडिज़ाइन, अतिरिक्त और उन सुविधाओं के संशोधन सहित तकनीकी उन्नयन के कारण विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी होती है जिनका विशिष्ट उद्देश्य ऊर्जा दक्षता बढ़ाने का विशिष्ट उद्देश्य होता है)[7]

[5] उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए पानी के लचीलेपन में सुधार करने वाली परियोजनाओं में जलवायु लचीला पानी के टैंकों का निर्माण शामिल हो सकता है जिनका उपयोग इमारतों में पानी को स्टोर करने, रुफिंग स्ट्रक्चर, वर्षा जल संचयन में सुधार करने के लिए किया जाता है।

[6] स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों की श्रेणी के तहत अधिक कुशल ट्रांसमिशन और वितरण को सक्षम करने वाली प्रौद्योगिकियों / घटकों की स्थापना। इसमें एससीएडीए सिस्टम, संचार और सेंसर प्रौद्योगिकियां जैसे वाइड एरिया मॉनिटरिंग सिस्टम (डब्ल्यूएएमएस), एडवांस/स्मार्ट मीटर, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑटोमेशन डिवाइस, बिग डेटा या कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

[7] इस श्रेणी के भीतर xpenditures ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को उन प्रक्रियाओं के लिए डिज़ाइन या अभिप्रेत नहीं करते हैं जो स्वाभाविक रूप से कार्बन गहन हैं, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन द्वारा संचालित या संचालित हैं,

	▪ ऊर्जा प्रदर्शन में सुधार के लिए एलईडी प्रकाश व्यवस्था, घरों के लिए स्मार्ट मीटर और बॉयलरों के प्रतिस्थापन जैसी प्रौद्योगिकियों का निर्माण। **एसडीजी में महत्वपूर्ण योगदान:**
ग्रीन बिल्डिंग	हरित भवनों सहित परियोजनाओं से संबंधित निवेश, व्यय और वित्तपोषण निम्नानुसार प्रमाणित हैं :[8] ▪ ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन (LEED) - गोल्ड या प्लेटिनम भवन अनुसंधान स्थापना पर्यावरण मूल्यांकन विधि (BREEAM) - उत्कृष्ट, या उपर्युक्त। **एसडीजी में महत्वपूर्ण योगदान:**
जीवित प्राकृतिक संसाधन और भूमि उपयोग परियोजनाएं	परियोजनाओं से संबंधित निवेश, व्यय और वित्तपोषण सहित : ▪ टिकाऊ मत्स्य पालन और जलीय कृषि *परियोजनाएं*[9] **एसडीजी में महत्वपूर्ण योगदान:**

जैसे: तेल या गैस से चलने वाले बॉयलर, सह-उत्पादन और सीएचपी इकाइयों के साथ-साथ स्टील, सीमेंट, एल्यूमीनियम जैसे भारी उद्योगों में उत्पादन प्रक्रियाएं।

[8] नए भवनों का अधिग्रहण या मौजूदा भवनों का रेट्रोफिट/उन्नयन/नवीकरण प्रदान किए गए रेट्रोफिट/उन्नयन/नवीकरण से ऊर्जा दक्षता में कम से कम 30% का सुधार होता है, या इसके परिणामस्वरूप भवन प्रमाणन स्तर में सुधार होता है।.

[9]एक मान्यता प्राप्त और विश्वसनीय तृतीय-पक्ष मानक द्वारा प्रमाणित किया गया है और न्यूनतम रेटिंग आवश्यकता प्राप्त की है। (उदाहरण के लिए, खेत स्तर के प्रमाणन के लिए एएससी, जलीय कृषि के लिए ग्लोबल जीएपी).)

नवीकरणीय ऊर्जा	नवीकरणीय ऊर्जा सहित परियोजनाओं से संबंधित निवेश, व्यय और वित्तपोषण जैसे: ▪ ग्राउंड-माउंटेड सौर ऊर्जा और ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर ऊर्जा (फोटोवोल्टिक और केंद्रित सौर ऊर्जा)[10], ▪ पवन ऊर्जा (तटवर्ती और अपतटीय), ▪ जल विद्युत ऊर्जा (25 मेगावाट से कम उत्पादन, या कृत्रिम जलाशय के बिना रन-ऑफ-रिवर परियोजनाएं[11]) ▪ अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं जो कृषि / वानिकी अपशिष्ट या नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) से ऊर्जा पुनर्प्राप्त करती हैं, इस शर्त के साथ कि अधिकांश पुनर्नवीनीकरण (विशेष रूप से प्लास्टिक) को ऊर्जा रूपांतरण और बिजली उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा से पहले अलग किया जाता है (<100 ग्राम सीओ 2 ई / केडब्ल्यूएच) के प्रत्यक्ष उत्सर्जन तक सीमित), ▪ बिजली उत्पादन के लिए जैव ऊर्जा[12] (उदाहरण के लिए, तेल बीज फसलें, चीनी फसलें, लकड़ी के छर्रों, पीट और ताड़ के तेल को छोड़कर) (<100 ग्राम CO2e / KWh) के जीवन-चक्र उत्सर्जन तक सीमित)। **SDG में महत्वपूर्ण योगदान**[13]

[10]उक्त सुविधा से उत्पन्न बिजली का कम से कम 85% सौर ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त किया जाएगा, और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा बैक अप सुविधा के बिजली उत्पादन के 15% तक सीमित होगा

[11]आकार के बावजूद, एक विश्वसनीय निकाय द्वारा किए गए पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को प्रति परियोजना की आवश्यकता होगी, और वहां चाहिए कोई महत्वपूर्ण जोखिम या अपेक्षित नकारात्मक प्रभाव की पहचान नहीं की गई है. 2019 के बाद संचालित पात्र परियोजनाओं में 10W / m2 से अधिक बिजली घनत्व होगा, जबकि 2019 से पहले चालू परियोजनाओं के लिए, 5 W / m2 से अधिक बिजली घनत्व सुनिश्चित किया जाएगा।

[12] बायोमास / ईंधन जो उच्च जैव विविधता के स्रोतों से प्राप्त होता है, जो खाद्य स्रोतों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है या जो कार्बन पूल को कम करता है, को बाहर रखा गया है।

[13] परिशिष्ट ए में निहित पात्रता मानदंडों के लिए तालिकाएं भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेशों - प्राथमिकता क्षेत्र उधार (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण (मास्टर निर्देश FIDD.CO योजना.बीसी.5/04.09.01/2020-21) का अनुसरण करती हैं।

सतत जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन	परियोजनाओं से संबंधित निवेश, व्यय और वित्तपोषण, जिसमें विकास / विनिर्माण बुनियादी ढांचे, उपकरण और प्रौद्योगिकी शामिल हैं ▪ स्वच्छ और/या पेयजल (*स्वच्छ जल शोधन सुविधा*) की व्यवस्था, ▪ सौर फोटोवोल्टिक पंप सेट, ▪ वर्षा जल संचयन प्रणाली और तालाबों का विकास, ▪ अपशिष्ट जल उपचार (जल पुनर्चक्रण प्रणाली) सीवर नेटवर्क, उपचार/प्रबंध और स्लरी उपचार सुविधाएं ▪ बागवानी (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई विधियां कम प्रवाह वाले पानी के फिक्स्चर के साथ निश्चित रूप से पानी के मॉनिटर और नल संबंधी विकास)। **एसडीजी में महत्वपूर्ण योगदान:**
अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन दक्षता	परियोजनाओं से संबंधित निवेश, व्यय और वित्तपोषण सहित : ▪ अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं (अपशिष्ट संग्रह/ प्रसंस्करण / रीसाइक्लिंग),[14] ▪ प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाएं (भारत के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं स्मोक-स्टैक स्क्रबर की स्थापना, या प्रक्रिया उन्नयन, उत्सर्जन नियंत्रण / अनुपालन की निगरानी / परीक्षण करने के लिए सेंसर की स्थापना के माध्यम से वायु उत्सर्जन को कम करने से संबंधित[15] हैं । **एसडीजी में महत्वपूर्ण योगदान:**

[14]अपशिष्ट संग्रह गतिविधियों के लिए, स्रोत पृथक्करण सुनिश्चित किया जाएगा। वसूली और प्रसंस्करण के लिए, अपशिष्ट से ऊर्जा सुविधाओं के लिए पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं का पृथक्करण सुनिश्चित किया जाएगा। गतिविधि प्लास्टिक के रासायनिक रीसाइक्लिंग को बाहर कर देगी। ई-कचरे के पुनर्मिलन के मामले में, मजबूत अपशिष्ट प्रबंधन योजना संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए तैयार की जाएगी।

[15]वित्त पोषण से वायु प्रदूषण की रोकथाम को जीवाश्म ईंधन के उत्पादन से रोका जा सकेगा और वायु प्रदूषण की रोकथाम, जो सीधे उन प्रौद्योगिकियों से होती है जो ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर हैं।

4.2.2 पात्र सामाजिक परियोजना श्रेणियाँ

पात्र सामाजिक परियोजना श्रेणियाँ	पात्रता मानदंड और उदाहरण
आवश्यक सेवाओं तक पहुंच	▪ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित व्यक्तियों को 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण;[16] ▪ सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ऋण (अर्थात, स्कूल, हेल्थ केयर सुविधाएं) प्रति उधारकर्ता ₹ 5 करोड़ की सीमा तक।[17] **एसडीजी में महत्वपूर्ण योगदान :**
किफायती बुनियादी ढांचा	आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने से संबंधित निवेश या परियोजनाएं, जिनमें शामिल हैं : • बसों सहित ऐसे वाहन जो ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में आम जनता के लिए यातायात की सुविधा प्रदान करते हैं। • उन क्षेत्रों में जहां कनेक्टिविटी की कमी है या अविकसित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी है, सड़कों का विकास • पेयजल सुविधाओं और स्वच्छता सुविधाओं के लिए सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रति ऋणकर्ता 5 करोड़ रुपये की सीमा तक ऋण नवीनीकरण

[16]आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आने वाले छात्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

[17]पात्र परियोजनाओं/संस्थाओं के वित्तपोषण में, बैंक को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (जैसा कि भारत सरकार द्वारा परिभाषित किया गया है) सहित सभी के लिए पहुंच की पुष्टि की आवश्यकता होगी।

	और टियर II से टियर VI केंद्रों में घरेलू स्तर पर जल सुधार शामिल हैं।[18] **एसडीजी में महत्वपूर्ण योगदान :**
किफायती आवास	निवेश या परियोजनाओं में शामिल हैं : (i) कम लागत वाले घरों की खरीद या निर्माण के लिए व्यक्तियों को ऋण[19] (ii) मौजूदा घर के नवीनीकरण के लिए व्यक्तियों को ऋण[20] (iii) किफायती आवास परियोजनाओं के लिए ऋण[21] इसके अतिरिक्त, एसबीआई ईडब्ल्यूएस और एलआईजी को ऋण को प्राथमिकता देने का इरादा रखता है। **एसडीजी में महत्वपूर्ण योगदान:**

[18]वित्तपोषित और / या रिफाइंड वाहनों को भी प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मानकों के अधीन किया जाएगा। योग्यता में ऐसे वाहन शामिल हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हैं।

19 आरबीआई/2009-10/243 डीबीओडी. सं. सं.बीएल.बीसी. 65/22.01.001/2009-10 दिनांक 01.12.2009 पर आधारित केंद्रों का टियर-वार वर्गीकरण

20 एसबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख दिशा-निर्देशों का पालन करता है - प्राथमिकता क्षेत्र ऋण- लक्ष्य और वर्गीकरण (20 अक्टूबर, 2022 तक अपडेट किया गया) और मकान की लागत में 4.5 मिलियन रुपये से अधिक नहीं है। एसबीआई का इरादा महानगरीय केंद्रों में 3.5 मिलियन रुपये से अधिक और अन्य केंद्रों में 2.5 मिलियन रुपये से अधिक राशि के लिए कम लागत वाले आवास ऋण प्रदान करना है।

21 एसबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख दिशा-निर्देशों का पालन करता है - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण (20 अक्टूबर, 2022 तक अद्यतन) जिसमें मौजूदा घर के नवीनीकरण के लिए ऋण राशि महानगरीय केंद्रों में 1 मिलियन रुपये तक और अन्य केंद्रों में 600,000 रुपये तक होगी।.

22 आरबीआई के मास्टर निदेशों के अनुसार - प्राथमिकता क्षेत्र उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण (20 अक्टूबर, 2022 को अद्यतन) और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार, "किफायती आवास" को 60 वर्ग मीटर से अधिक के कार्पेट क्षेत्र वाली आवास इकाइयों के लिए फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर)/फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के कम से कम 50% का उपयोग करके एक आवास परियोजना के रूप में परिभाषित किया गया है।

एसएमई वित्तपोषण/माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से रोजगार सृजन	रोजगार सृजन प्रदान करने से संबंधित निवेश या परियोजनाएं, जिनमें शामिल हैं : ▪ भारत सरकार द्वारा परिभाषित एमएसएमई को ऋण। इसके अतिरिक्त, ऐसे एमएसएमई को किसी भी तरीके से, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित या किसी सेवा या सेवाओं को प्रदान करने या प्रदान करने में लगे हुए किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए होना चाहिए। ▪ एमएसएमई से उत्पन्न होने वाले अन्य वित्तीय संस्थानों से माध्यमिक ऋण विभागों में खरीद या निवेश करना और/या माइक्रोफाइनेंसिंग लेन-देन जैसे कि इस फ्रेमवर्क में परिभाषित किया गया है या अन्यथा इस रूपरेखा में सूचीबद्ध पात्रता मानदंड को पूरा करना। **एसडीजी में महत्वपूर्ण योगदान:**
खाद्य सुरक्षा	खाद्य हानि से बचने के लिए पर्याप्त भंडारण प्रदान करने, खाद्य संरक्षण में सुधार करने या खाद्य श्रृंखला में कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए गोदामों जैसे बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में निवेश से संबंधित निवेश या परियोजनाएं। **एसडीजी में महत्वपूर्ण योगदान:**

सामाजिक आर्थिक उन्नति और सशक्तिकरण	सामाजिक आर्थिक उन्नति और सशक्तिकरण को सक्षम करने से संबंधित निवेश या परियोजनाएं, जिनमें शामिल हैं : ▪ कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में कृषि ऋण (अल्पकालिक फसल ऋण और किसानों को मध्यम/दीर्घकालिक ऋण) और सहायक गतिविधियां शामिल होंगी, जैसा कि परिशिष्ट ए में तालिका 1 में निर्धारित किया गया है, **एसडीजी में महत्वपूर्ण योगदान:**
सामाजिक परियोजना श्रेणियों के लिए लक्षित जनसंख्या	उपर्युक्त परियोजना श्रेणियां/मानदंड निम्नलिखित लक्षित जनसंख्या में से एक या अधिक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान कर सकते हैं : • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और[22] कम आय वाले परिवार[23] • ग्रामीण समुदाय • विकलांग बुजुर्ग व्यक्ति[24] • अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति[25] • बेरोजगार

23 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 800,000 रुपये से कम है और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की योजना के तहत कवर नहीं हैं। https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1781353

24 संदर्भ : https://pmaymis.gov.in/PDF/HFA_Guidelines/hfa_Guidelines.pdf

25 एसबीआई विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) की भारत सरकार की परिभाषा का अनुसरण करता है जैसा कि "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" में दिया गया है: https://disabilityaffairs.gov.in/content/page/acts.php

26 एसबीआई भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) के तहत परिभाषित एससी और एसटी की परिभाषा का पालन करता है।

	• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)[26]

4.2.3 बहिष्करण मानदंड

किसी भी मामले में, पात्र परियोजनाओं में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ("आईएफसी") बहिष्करण सूची (2007) में सूचीबद्ध गतिविधियों के प्रकार के साथ-साथ निम्नलिखित उद्योग श्रेणियां शामिल नहीं हैं : [27]

- स्वच्छ कोयला और किसी भी अन्य जीवाश्म ईंधन से संबंधित संपत्ति,
- परमाणु ऊर्जा और परमाणु संबंधी परिसंपत्तियां,
- 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाएं,
- लक्जरी क्षेत्र जैसे कीमती धातु, कीमती कलाकृतियां और प्राचीन वस्तुएं, गोल्फ कोर्स सेवाएं और आतिथ्य समूह,
- प्राथमिक वन, समृद्ध जैव विविधता, उच्च संरक्षण मूल्य क्षेत्र या कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामित भूमि पर स्थित कृषि या वनों की कटाई परिचालन,
- एमएसएमई जो जानबूझकर बाल श्रम, जबरन श्रम, अनुचित श्रम प्रथाओं, संघर्ष खनिजों, हिंसक उधार, खनन उपकरण, कार्बन गहन क्षेत्रों और हथियारों, खनन, तंबाकू जैसे विवादास्पद क्षेत्रों में संलग्न हैं।

27 एसबीआई की एमएसएमई की परिभाषा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 के अनुसार है, जिसमें सूक्ष्म उद्यम के लिए संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 मिलियन रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार 50 मिलियन रुपये से अधिक नहीं है। छोटे उद्यम संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश INR 100 मिलियन से अधिक नहीं है और कारोबार INR 500 मिलियन से अधिक नहीं है और एक मध्यम उद्यम के लिए संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश INR 500 मिलियन से अधिक नहीं है और कारोबार INR 2.5 बिलियन से अधिक नहीं है।

28 आईएफसी अपवर्जन सूची में मुख्य रूप से किसी भी उत्पाद या गतिविधि में उत्पादन या व्यापार के लिए परियोजनाएं शामिल हैं, जिन्हें अवैध, उत्पादन या हथियारों और हथियारों में व्यापार, अल्कोहलिक पेय पदार्थ (बीयर और शराब को छोड़कर), तंबाकू, रेडियोधर्मी सामग्री और असीम एस्बेस्टस फाइबर, जुआ, कैसिनो और समकक्ष उद्यम, 2.5 किमी से अधिक की लंबाई में नेट का उपयोग करके समुद्री वातावरण में ड्रिफ्ट नेट मछली पकड़ने के लिए शामिल हैं। इसके अलावा, एफआई को उत्पादन या गतिविधियों को बहिष्कार करना चाहिए, जिसमें जबरन श्रम/शारीरिक बाल श्रम के हानिकारक या शोषक रूपों, प्राथमिक उष्णकटिबंधीय नम वन और उत्पादन में उपयोग के लिए वाणिज्यिक लॉगिंग संचालन या लकड़ी या अन्य वानिकी उत्पादों में व्यापार शामिल हैं। पूरी सूची देखने के लिए: http://www.ifc.org/exclusionlist पर जाएँ।

- मेजबान देश के कानूनों या विनियमों या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौतों के तहत अवैध माने जाने वाले किसी भी उत्पाद या गतिविधि का उत्पादन या व्यापार, या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के अधीन।

5. परियोजना मूल्यांकन और चयन के लिए प्रक्रिया

ईएसजी फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के तहत किसी परियोजना की पात्रता निर्धारित करने और उसके तहत पोर्टफोलियो की नियमित निगरानी के लिए एक स्थिरता समिति ("एससी") की स्थापना की जाएगी।

"एससी" के सदस्य होंगे :

i. मुख्य महाप्रबंधक (क्रेडिट नीति और प्रक्रिया) - *अध्यक्ष*
   (वैकल्पिक अध्यक्ष - मुख्य महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन-1))
ii. महाप्रबंधक (कृषि) - *सदस्य*
   (वैकल्पिक सदस्य- जीएम (एनबीएफसी अलायंस))
iii. महाप्रबंधक-I (लघु और मध्यम उद्यम व्यवसाय इकाई - एसएमईबीयू) - *सदस्य*
   (वैकल्पिक सदस्य- महाप्रबंधक-II (लघु और मध्यम उद्यम व्यवसाय इकाई - एसएमईबीयू*)*
iv. उप महाप्रबंधक (सीएसआर और संवहनीयता) - *नोडल अधिकारी और संयोजक*
v. उप महाप्रबंधक (आईबीजी के तहत ट्रेजरी मैनेजमेंट ग्रुप -1) - *सदस्य*
   (वैकल्पिक सदस्य- उप महाप्रबंधक (आईबीजी के तहत ट्रेजरी प्रबंधन समूह-II))

समिति का न्यूनतम कोरम तीन होगा जिसमें मुख्य महाप्रबंधक (क्रेडिट नीति और प्रक्रिया) या उनके वैकल्पिक और उप महाप्रबंधक (सीएसआर और संवहनीयता) शामिल होंगे।

फ्रेमवर्क में गणना की जाने वाली किसी भी परियोजना को उपरोक्त धारा 4.2 में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार "एससी" द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए और निगरानी और ट्रैकिंग उद्देश्य के लिए कोर बैंकिंग समाधान ("सीबीएस") में लेबल किया जाएगा।

"एससी" इस ढांचे के तहत जारी ईएसजी उपकरणों के लिए प्रासंगिक रिपोर्टिंग की तैयारी और सत्यापन की देखरेख करेगा।

5.1 संबंधित परियोजनाओं से जुड़े ईएसजी जोखिमों की पहचान और प्रबंधन

एसबीआई ने प्रासंगिक परियोजनाओं से जुड़े सामाजिक, पर्यावरणीय और शासन जोखिमों की पहचान को सुविधाजनक बनाने के लिए ईएसजी मानदंडों पर उधारकर्ताओं (प्रासंगिक परियोजनाओं) का आकलन करने के लिए 'ईएसजी जोखिम रेटिंग मॉडल' तैयार किया है। ईएसजी वित्तपोषण ढांचे के लिए प्रासंगिक परियोजनाएं भारत में मौजूदा उधारकर्ता/भावी उधारकर्ता होंगी, जिनका एसबीआई के साथ 100 करोड़ रुपये से अधिक (सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) और 500 करोड़ रुपये से अधिक (गैर-सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) का मौजूदा/प्रस्तावित कुल एक्सपोजर होगा। ऐसी प्रासंगिक परियोजनाओं को मूल्यांकन स्तर पर आंतरिक रेटिंग के समय ईएसजी मानदंडों पर अनिवार्य रूप से रेट किया जाना होगा।

इन प्रासंगिक परियोजनाओं (परियोजनाओं) का विभिन्न मापदंडों पर परीक्षण किया जाएगा और ईएसजी 1 से ईएसजी 16 तक के कुल स्कोर के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें ईएसजी 1 से ईएसजी 5 रेटेड परियोजनाओं को ईएसजी लीडर्स के रूप में लेबल किया जाएगा।

यदि आय का उपयोग पात्र श्रेणी में संबंधित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित ईएसजी वित्तपोषण ढांचे के तहत वित्तपोषण के लिए विचार करने से पहले परियोजनाओं को ईएसजी मानदंडों पर रेट किया जाए। पुनर्वित्त के मामले में, इन संबंधित परियोजनाओं को पहले से ही ईएसजी मानदंडों पर रेट किया जाएगा।

6. आय का प्रबंधन

ग्रीन, सोशल या सस्टेनेबल पोर्टफोलियो के तहत निर्धारित मौजूदा परियोजनाओं/खातों के लिए सीबीएस/लोन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम/मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक लेबलिंग तंत्र विकसित किया जाएगा, जिसे उत्पाद कोड के माध्यम से निकाला जा सकता है।

यह लेबल ग्रीन, सोशल या सस्टेनेबल पोर्टफोलियो के विवरणों को निष्कर्षण में सक्षम करेगा, जिसमें ऋण खाता संख्या, उधारकर्ता का नाम, आय का उपयोग, स्वीकृत राशि, ऋण की राशि और बकाया, ऋण परिपक्वता और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल है ताकि जारी की गई आय और आय के उपयोग या आबंटन का कुल वास्तविक समय के आधार पर दर्ज किया जा सके।

परिसंपत्ति पोर्टफोलियो में किसी भी पुनर्भुगतान / पुनर्वित्त और आय के लिए निर्धारित नए ऋण पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के लिए ईएसजी पोर्टफोलियो को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।

अनाबंटित आय, यदि कोई हो, को लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश या आबंटित किया जाएगा, जैसा कि बैंक द्वारा धारा 4.2.3 में वर्णित अपवर्जन मानदंडों में चिन्हित क्षेत्रों या क्रियाकलापों को कड़ाई से अपवर्जन के साथ कुल आवंटन इस रूपरेखा की धारा 4.1 में वर्णित शर्तों के अनुसार होगा।

6.1 आय आबंटन : लेबलिंग तंत्र

लेबलिंग प्रणाली में कम से कम निम्नलिखित जानकारी होगी: लेन-देन की तारीख, (नेट) आय की राशि, परिपक्वता तिथि, कूपन, ऋण/बांड प्रकार, मूल्य निर्धारण तिथि, आईएसआईएन कोड और/या अन्य पहचानकर्ता जो आवश्यक हो।

इसके अतिरिक्त, पूरे ईएसजी पोर्टफोलियो की आय के आबंटन पर निम्नलिखित जानकारी शामिल की जाएगी:

- विभिन्न पात्र हरित परियोजनाओं और/या आबंटित पात्र सामाजिक परियोजनाओं की परियोजना ब्रीफिंग
- विभिन्न पात्र हरित परियोजनाओं और/या पात्र सामाजिक परियोजनाओं के लिए आबंटित राशि
- अनाबंटित आय की राशि
- अनाबंटित आय का उपयोग

6.2 ईएसजी पोर्टफोलियो : आय की निगरानी

ईएसजी फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के तहत समग्र पोर्टफोलियो स्थिति की निगरानी "एससी" द्वारा तिमाही आधार पर की जाएगी। ग्रीन, सोशल या सस्टेनेबल पोर्टफोलियो के तहत विचार किए गए समग्र पोर्टफोलियो में कोई भी बदलाव या ग्रीन, सोशल या सस्टेनेबल पोर्टफोलियो से अलग-अलग परियोजनाओं को हटाने और जोड़ने के लिए फ्रेमवर्क में निर्धारित योग्य मानदंडों के अनुसार किया जाएगा और इसे "एससी" द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए।

जारी किए गए ऋणों/बांडों की अवधि के दौरान, यदि नामित परियोजनाएं रूपरेखा का अनुपालन करना बंद कर देती हैं या यदि उन्हें स्थगित कर दिया जाता है या यदि एसबीआई द्वारा पात्र आस्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, तो शुद्ध आगम को अन्य पात्र परियोजनाओं या आस्तियों के लिए पुनः आबंटित किया जाएगा। ऐसी निगरानी ईएसजी वित्तपोषण ढांचे के तहत जारी किए गए उपकरणों के जीवन भर की जाएगी।

7. रिपोर्टिंग

बैंक इस फ्रेमवर्क के तहत जारी प्रत्येक साधन के लिए आय के उपयोग की रिपोर्ट बैंक की वार्षिक स्थिरता रिपोर्ट के हिस्से के रूप में या स्टैंडअलोन आधार पर करेगा। आबंटन रिपोर्टिंग का प्रकटन वार्षिक रूप से पूर्ण आबंटन तक और भौतिक विकास की स्थिति में आवश्यक रूप से किया जाएगा।

यह रिपोर्ट एसबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी और इसमें कम से कम निम्नलिखित जानकारी होगी :

- पात्र हरित परियोजना श्रेणी और/या पात्र सामाजिक परियोजना श्रेणी द्वारा आबंटन राशि, जो एसडीजी (ओं) को दर्शाती है, जिसका ऐसा आबंटन सपोर्ट करता है।
- आबंटित की जाने वाली आय की राशि, और इसका अस्थायी समाधान
- वित्तपोषण बनाम पुनर्वित्त के लिए उपयोग की जाने वाली आय का अनुपात
- भौगोलिक वितरण द्वारा आबंटन राशि
- गोपनीयता के अधीन योग्य परियोजना दृष्टांत
- अनाबंटित आय की राशि और इसके अस्थायी समाधान

7.1 इम्पैक्ट रिपोर्टिंग

इम्पैक्ट रिपोर्टिंग का प्रकटन वार्षिक रूप से पूर्ण आबंटन तक और सामग्री विकास के मामले में समय पर आधार पर किया जाएगा। जहां भी संभव हो और योग्य परियोजनाओं की प्रकृति और सूचना की उपलब्धता के अधीन, बैंक ढांचे (अपेन्डेक्स बी) के तहत जारी किए गए ई-जी उपकरणों के माध्यम से वित्त पोषित पात्र परियोजनाओं (आरई) के गुणात्मक और मात्रात्मक प्रभावों पर रिपोर्ट करने का प्रयास करेगा। इस तरह की प्रभाव रिपोर्ट निवेशकों को आसानी से उपलब्ध कराई जाएगी।

8. बाहरी समीक्षा

एसबीआई इस फ्रेमवर्क के पर्यावरणीय और सामाजिक लाभों के साथ-साथ आईसीएमए ग्रीन बॉन्ड सिद्धांत 2021, सोशल बॉन्ड सिद्धांत 2021, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड दिशानिर्देश 2021, एलएमए ग्रीन लोन सिद्धांत 2021 और सामाजिक ऋण सिद्धांत 2021 के संरेखण पर राय प्रदान करने के लिए पूर्व-जारी चरण में सलाहकार/बाहरी लेखा परीक्षक से दूसरी पार्टी राय

("एसपीओ") प्राप्त करेगा और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा। दूसरी पार्टी की राय एसबीआई की वेबसाइट www.sbi.co.in पर प्रकाशित की जाएगी।

एसबीआई धारा 7 में उल्लिखित आय के आबंटन और प्रभाव रिपोर्टिंग पर जारी होने के बाद आश्वासन देने के लिए एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष को नियुक्त कर सकता है।

9. ढांचे में संशोधन

बैंक इस फ्रेमवर्क की नियमित आधार पर समीक्षा करेगा, जिसमें बाजार में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने के उद्देश्य से लागू सिद्धांतों और / या दिशानिर्देशों के अद्यतन संस्करणों के लिए इसके संरेखण शामिल हैं। इस तरह की समीक्षा के परिणामस्वरूप इस ढांचे को अद्यतन और संशोधित किया जा सकता है।

बैंक ने आगे नोट किया कि इस फ्रेमवर्क के घटक भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक के परिचालन अधिकार क्षेत्र के भीतर अन्य प्रासंगिक नियामक निकायों द्वारा निर्धारित नीतियों और परिभाषाओं के संदर्भ को ओवरलैप करते हैं। भौतिक विकास और ऐसी नीतियों और परिभाषाओं में परिवर्तन के मामले में, बैंक अपने विवेक पर, नवीनतम नीति विकास के अनुसार संबंधित पात्र श्रेणियों के लिए पात्रता मानदंड को अद्यतन कर सकता है।

इस फ्रेमवर्क का कोई भी अद्यतन या तो पारदर्शिता और रिपोर्टिंग प्रकटीकरण के वर्तमान स्तरों को बनाए रखेगा या सुधार करेगा, जिसमें बाहरी समीक्षक द्वारा संबंधित समीक्षा भी शामिल है। भारतीय स्टेट बैंक किसी परामर्शदाता/बाह्य लेखा परीक्षक से एक नई द्वितीय पक्ष राय ("एसपीओ") प्राप्त करेगा और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा ताकि लागू सिद्धांतों और दिशानिर्देशों के अद्यतन संस्करणों के साथ-साथ अद्यतन ढांचे के पर्यावरणीय और सामाजिक लाभों के साथ-साथ इसके संरेखण पर राय प्रदान की जा सके।

इस तरह के अपडेशन पर फ्रेमवर्क, बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और इस फ्रेमवर्क को प्रतिस्थापित करेगा।

परिशिष्ट ए[28]

तालिका 1: कृषि वित्त

कृषि ऋण	निम्नांकित हेतु ऋण • स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), यानी किसानों के समूह, • लघु/सीमांत किसान • लघु/सीमांत किसानों की कृषक सहकारी समितियां कृषि और संबद्ध गतिविधियों, जैसे डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन में संलग्न हों। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : (i) किसानों को फसल ऋण, जिसमें पारंपरिक / गैर-पारंपरिक वृक्षारोपण और बागवानी, और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण शामिल होंगे, (ii) कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए किसानों को मध्यम और दीर्घकालिक ऋण, (जैसे कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद, खेत में किए गए सिंचाई और अन्य विकास गतिविधियों के लिए ऋण, और संबद्ध गतिविधियों के लिए विकासात्मक ऋण। (iii) किसानों को अपने स्वयं के कृषि उत्पादों की कटाई, छंटाई, ग्रेडिंग और परिवहन के लिए ऋण (iv) किसानों को कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) की गिरवी/हाइपोथिकेशन के लिए ₹50 लाख तक का ऋण 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए दिया जाता है। (v) गैर-संस्थागत उधारदाताओं के ऋणग्रस्त किसानों को ऋण, (vi) किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को ऋण, (vii) कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि खरीदने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को ऋण।

[28] यह सारिणी पात्रता मानदंड के लिए परिशिष्ट ए में निहित भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देशों का पालन करता है - प्राथमिकता क्षेत्र उधार (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण (मास्टर निर्देश FIDD.CO। योजना.बीसी.5/04.09.01/2020-21)

कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर	व्यक्तिगत किसानों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और / या कॉर्पोरेट किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, साझेदारी फर्मों और छोटे / सीमांत किसानों तक सीमित किसानों की सहकारी समितियों को ऋण : (i) मृदा संरक्षण और वाटरशेड विकास, (ii) प्लांट टिशू कल्चर और कृषि-जैव प्रौद्योगिकी, बीज उत्पादन, जैव-कीटनाशकों का उत्पादन, जैव-उर्वरक और वर्मी कम्पोस्टिंग।
सहायक गतिविधियाँ	(i) सदस्यों की उपज के निपटान के लिए किसानों की सहकारी समितियों को ₹5 करोड़ तक का ऋण (ii) कृषि-क्लीनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्रों की स्थापना के लिए ऋण, (iii) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), कृषक सेवा समितियों (एफएसएस) और बड़े आकार की आदिवासी बहुउद्देश्यीय समितियों (एलएएमपी) को कृषि को उधार देने के लिए बैंक ऋण,

परिशिष्ट बी

हरित परियोजना श्रेणियों की इम्पैक्ट रिपोर्टिंग

(ग्रीन परियोजना श्रेणियों से संबंधित इम्पैक्ट रिपोर्टिंग के लिए विस्तृत संकेतकों को आईसीएमए के अनुरूप इम्पैक्ट रिपोर्टिंग की रूपरेखा से संदर्भित किया जा सकता है)

योग्य ग्रीन प्रोजेक्ट श्रेणियाँ	**पर्यावरणीय प्रभाव संकेतक उदाहरण**
जैव विविधता	• संरक्षित क्षेत्र, प्राकृतिक परिदृश्य क्षेत्र का रखरखाव/सुरक्षा/वृद्धि • परियोजना से पहले और बाद में प्रति वर्ग किमी पूर्वनिर्धारित लक्ष्य जीवों और प्रजातियों की संख्या • परियोजना से पहले और बाद में संरक्षित क्षेत्र में संरक्षित संवेदनशील प्रजातियों की संख्या
परिपत्र अर्थव्यवस्था और / या पर्यावरण-कुशल परियोजनाएं	• एकल उपयोग उत्पादों का % पुन: प्रयोज्य उत्पादों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। • पुन: प्रयोज्य, पुनर्नवीनीकरण, और / या प्रमाणित खाद सामग्री, घटकों और उत्पादों में %वार वृद्धि • परियोजना के कुल सामग्री उत्पादन के प्रतिशत के रूप में उत्पादित वृत्तीय सामग्री के अनुपात में वृद्धि • परियोजना से पहले और बाद में आने वाले कचरे को रोका जाता है, कम से कम किया जाता है, फिर से इस्तेमाल किया जाता है या रिसाइकिल किया जाता है • शुद्ध कच्चे माल जो द्वितीयक कच्चे माल और विनिर्माण प्रक्रियाओं से उप-उत्पादों द्वारा बदले जाते हैं।
स्वच्छ परिवहन	• वार्षिक जीएचजी उत्सर्जन में कमी / परिवर्जन (tCO2eq p.a.) • यात्री किलोमीटर का निर्माण, वायु प्रदूषकों में कमी • तैनात स्वच्छ वाहनों की संख्या (जैसे, इलेक्ट्रिक) • कार/ट्रक के उपयोग में किलोमीटर की संख्या में अथवा कुल परिवहन सवारियों की संख्या में अनुमानित कमी। • ईंधन की खपत में अनुमानित कमी

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	• MWh में ग्रिड लचीलापन, ऊर्जा उत्पादन, संचरण / वितरण और भंडारण में वृद्धि • जंगल की आग की संख्या में कमी, और / या किमी² में जंगल की आग से क्षतिग्रस्त क्षेत्र में • तूफान के कारण मरम्मत लागत में कमी • बिजली/परिवहन सेवाओं के नुकसान से पीड़ित ग्राहकों/कर्मचारियों की संख्या में कमी • तूफान के कारण अक्षम बिजली लाइनों की संख्या में कमी। बाढ़ से हुए नुकसान की लागत में कमी,, बाढ़ से खोए गए परिचालन दिवसों की संख्या में कमी • बाढ़ और/या तटीय क्षरण से होने वाले नुकसान में कमी
ऊर्जा दक्षता	• वार्षिक ऊर्जा बचत • वार्षिक GHG उत्सर्जन में कमी / परिवर्जन करना (tCO2eq p.a.) • लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या
ग्रीन बिल्डिंग	• ऊर्जा उपयोग में कमी, स्थल पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न • वार्षिक जीएचजी उत्सर्जन को कार्बन डाइऑक्साइड के टन में कमी/टाला जाता है। • कार्बन उत्सर्जन का प्रतिशत कम/ टाला गया
जीवित प्राकृतिक संसाधन और भूमि उपयोग परियोजनाएं	• वित्तपोषित स्थायी मत्स्य पालन और जलीय कृषि गतिविधियों की संख्या
नवीकरणीय ऊर्जा	• वार्षिक ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में कमी/ परिवर्जन (tCO2eq p.a.) • वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन • मेगावाट में निर्मित या पुनर्वासित नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र की क्षमता
सतत जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन	• परियोजना से पहले और बाद में वार्षिक जल उपयोग, पानी के उपयोग में कमी % में कमी

	• परियोजना से पहले और बाद में उपचारित, पुन: उपयोग या परहेज किए गए अपशिष्ट जल की वार्षिक मात्रा। • परियोजना के तहत स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच वाले लोगों की संख्या • बाढ़ और सूखे के परिणामों को कम करने के उपायों से लाभान्वित होने वाले लोगों और / या उद्यमों की संख्या।
अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन दक्षता	• कचरे की प्रतिशत मात्रा में कमी, पुन: उपयोग या पुनर्नवीनीकरण (%) • वार्षिक GHG उत्सर्जन में कमी / परिवर्जन (tCO2eq p.a.) • गैर-पुनर्नवीनीकरण अपशिष्ट से वार्षिक ऊर्जा उत्पादन • प्रति वर्ष कचरे से निकलने वाली निवल ऊर्जा • कचरे की वार्षिक मात्रा जिसे अलग किया जाता है और / या एकत्र किया जाता है और उपचारित किया जाता है (खाद सहित) या निपटाया जाता है।

सामाजिक परियोजना श्रेणियों की इम्पैक्ट रिपोर्टिंग

(सामाजिक परियोजना श्रेणियों से संबंधित इम्पैक्ट रिपोर्टिंग के लिए विस्तृत संकेतकों को आईसीएमए से सामाजिक बांड के लिए प्रभाव रिपोर्टिंग के सामंजस्यपूर्ण ढांचे से संदर्भित किया जा सकता है)

पात्र सामाजिक परियोजना श्रेणियाँ	**सामाजिक प्रभाव संकेतक**
आवश्यक सेवाओं तक पहुंच	• लाभार्थियों की संख्या • बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के साथ पहुंचने वाले लोगों की संख्या • निर्मित चिकित्सा केंद्रों की संख्या • शैक्षिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बकाया ऋण की राशि
किफायती बुनियादी ढांचा	• लाभार्थियों की संख्या • स्थापित पेयजल/स्वच्छता सुविधाओं की संख्या • सार्वजनिक गतिशीलता को सक्षम करने वाले वाहन वित्त की संख्या • अविकसित क्षेत्रों की सेवा करने वाली वित्तपोषित सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की संख्या • पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण/नवीनीकरण के लिए दिए गए ऋणों की संख्या।
किफायती आवास	• अप्रमाणिक आवास कार्यक्रमों के लिए बकाया ऋण राशि • निमत/संरक्षित आवास इकाइयों की संख्या • लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
रोजगार सृजन	• सृजित नौकरियों की संख्या • वित्तपोषित/समर्थित एसएमई की संख्या • प्रोत्साहित एसएमई के कर्मचारियों की संख्या
खाद्य सुरक्षा	• खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या में कमी

	• कुपोषण में कमी • सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन पाने वालों की संख्या • वित्तपोषित गोदामों की संख्या
सामाजिक-आर्थिक उन्नति और सशक्तिकरण	• पात्र वित्तीय सहायता से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या • पात्र वित्तीय सहायता से लाभान्वित होने वाले छोटे/सीमांत किसानों की संख्या